संचालनालय खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश
टी0 टी0 नगर स्टेडियम, भोपाल

//परिपत्र//

विषय :- ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर 2011–12 ।

प्रतिवर्ष की भाँति वर्ष 2011–12 में खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 02 मई से 01 जून, 2011 की अवधि में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किये जाने का निर्णय लिया गया है । इन शिविरों का आयोजन प्रदेश में जहाँ भी खेलों की अधोसंरचनायें, प्रशिक्षक एवं खिलाड़ी उपलब्ध हो वहाँ इन शिविरों का आयोजन किया जाना हैं । शासन के विभिन्न विभागों द्वारा जहाँ भी खेल मैदान एवं प्रशिक्षण संबंधी अमला उपलब्ध हो संबंधित विभागों के समन्वय से ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाना हैं । जिला स्तर पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग के जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी एक समन्वय बैठक आयोजित करेंगे, जिसमें आयोजन की संयुक्त रूप रेखा अवधि समय, स्थान एवं किन–किन खेलों में शिविर आयोजित होगा आदि के संबंध में विचार–विमर्श किया जावेगा । इन बैठकों में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि आदि जाति कल्यण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय प्राचार्य पी0टी0आई0 आदि को आमंत्रित किया जावेगा । समन्वय बैठक का कार्यवाही विवरण जिला शिक्षा अधिकारी तथा जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी होगें । उक्त कार्यवाही विवरण की एक–एक प्रति संचालक, खेल और युवा कल्याण तथा आयुक्त, लोक शिक्षण म0प्र0 को भी भेजी जावेगी ।

दोनों विभागों द्वारा खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से किया जावे । प्रशिक्षण स्थल पर बैनर लगाये जाये । अधिक से अधिक बच्चों को प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाये, जिले में सक्रिय खेल संगठनों का भी सहयोग अवश्य लिया जाये । शिविरों के उद्घाटन समापन के दौरान जनप्रतिनिधिगण माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच, प्रतिष्ठित व्यवसायी, वरिष्ठ पत्रकार, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को आदर सहित आमंत्रित किया जाये तथा उनसे सक्रिय सहयोग हेतु निवेदन भी किया जाये । आयोजन के पश्चात् दोनों विभागों द्वारा एक संयुक्त प्रतिवेदन तैयार किया जावेगा जिसमें प्रशिक्षण शिविर के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी ।

आयुक्त	संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय, म0प्र0	खेल और युवा कल्याण, म0प्र0

........2....

184
08/03/11

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

संशोधित निर्देश

क्रमांक/विद्या/पी/शुल्क /2011/93 भोपाल, दिनांक 08 मार्च, 2011

प्रति,

1. समस्त संयुक्त संचालक लोक शिक्षण (संभागीय) मध्यप्रदेश।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला–समस्त (म.प्र.)।

विषय :–शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में लिये जाने वाले स्थानीय शुल्क के संबध मे संशोधित–निर्देश।

संदर्भ :–1. लोक शिक्षण संचालनालय,म.प्र. क्रमांक–विद्या/पी/2006/1257, दिनांक 3.8.06
2. –"– विद्या/पी/शुल्क/2011/92, दिनांक 4 मार्च, 2011।

विषयान्तर्गत विभागीय निर्देशों के पालन में शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयो में विभिन्न पाठ्यक्रम संबंधी एवं पाठ्येतर गतिविधियों के संचालन हेतु स्थानीय शुल्क लिया जाता है। इस संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है कि विद्यालयों में विभिन्न स्थानीय शुल्क नियम विपरीत वसूल की जा रही है।

प्रदेश की शालाओं में शुल्कों की एकरूपता बनाये रखने के लिए विभागीय निर्देशों के अनुरूप निम्नानुसार स्थानीय शुल्क लेने हेतु पूर्व से निर्देश है जिसके संबंध में संदर्भित पत्र 1 एवं 2 द्वारा अवगत कराया गया था।

2. मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक प्र.स/स्कू.शि./आर.टी.ई/2010/84 भोपाल, दिनांक 10.03.2010 द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रारंभिक शिक्षा (1 से 8 तक) के छात्र–छात्राओं से कोई भी फीस अथवा शुल्क लेने संबंधी समस्त निर्देश निरस्त/निष्प्रभावी घोषित किये गये है।

3. अतः बिन्दु क्रमांक 2 में उल्लिखित शासन निर्देश के अनुक्रम में संदर्भित पत्र 1 एवं 2 द्वारा प्रसारित समस्त निर्देशों के संकलित विवरण में से मिडिल स्कूलों के शुल्क एवं क्रीड़ा पंजीयन संबंधी निर्देश विलोपित माने जायेगे।

संशोधित विवरण निम्नानुसार होगा :–

स. क्र	शुल्क का विवरण	हाई रूपये	2 उ.मा. विद्यालय, रूपये	शासनादेश
1	विज्ञान शुल्क	30.00 प्रतिवर्ष	50.00 प्रतिवर्ष	म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल का आदेश – (1)क्र./एफ–73/6/95/20–2, भोपाल, दिनांक 21.12.95 (2)क्र. 44/34/85/बी–2/20, भोपाल, दिनांक 27.2.89
2	क्रीड़ा शुल्क	60 प्रतिवर्ष	100 प्रतिवर्ष	क्र/एफ–27–70/2010/बीस–2, भोपाल, दिनांक 12.07.10
3	स्काउट/गाईड	10.00 प्रतिवर्ष	10.00 प्रतिवर्ष	क्रएफ–73–143/95/ई–5/20, भोपाल, दिनांक 27.12.95
4	रेडक्रास	20.00 प्रतिवर्ष	20.00 प्रतिवर्ष	क्र./एफ–73–11/99/20–2 भोपाल, दिनांक 26.11.99
5	क्रियाकलाप	20.00 प्रतिवर्ष	20.00 प्रतिवर्ष	क्र./एफ–73/6/95/20–2 भोपाल, दिनांक 21.12.95

उक्त विवरण अनुसार राशियों का शाला, विकासखंड,जिला, संभाग एवं राज्यस्तर पर वितरण पूर्वानुसार इस प्रकार रहेगा :–

स.क्र	शुल्क का विवरण	शाला	विकासखण्ड	जिला	संभाग	राज्य
1	विज्ञान शुल्क	100 प्रतिशत	–	–	–	–
2	क्रीड़ा शुल्क	45 प्रतिशत	10 प्रतिशत	45 प्रतिशत	जिले के अंश का 20 प्रतिशत	–
3	स्काउट/गाईड	95 प्रतिशत	–	1 प्रतिशत	1 प्रतिशत	3 प्रतिशत
4	रेडक्रास	70 प्रतिशत	–	10 प्रतिशत जूनियर रेडक्रास	–	20 प्रतिशत
5	क्रियाकलाप	100 प्रतिशत	–	–	–	–

टीप :–

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा स्थानीय परीक्षाओं के लिए शुल्क के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देश लागू रहेंगे।

(डॉ. अवध किशोर मिश्रा)
संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/विद्या/पी/शुल्क /2011/94 भोपाल, दिनांक 08 मार्च, 2011

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश/आदिवासी विकास, भोपाल।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

संचालक 8/3/11
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश